board of the Corporation within seven days from the date of confirmation of minutes.]

SECTION 53 APPLICABLE IN CHHATTISGARH ONLY	केवल छत्तीसगढ़ में लागू
[1][53. Minutes of the meeting -- Minutes of the proceedings of every Meeting of the Corporation, Mayor-in-Council or any committee shall be recorded in such manner as may be prescribed.]	धारा 53 [1][53. सम्मिलन का कार्यवृत्त -- निगम, मेयर-इन-काउंसिल या किसी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त, ऐसी रीति में अभिलिखित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए।]

टिप्पणी

अर्जीदार, अपर आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिया गया -- आयुक्त, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 196 6 के नियम 9 के अधीन उसमें निहित वैवेकिक अधिकार को प्रयोग में लाने में विफल रहा और अपील प्राधिकारी के कहने पर उसी को प्रयोग में लाया --निलंबन आदेश अभिखंडित। **के.के. सिंह चौहान बनाम म.प्र. राज्य और अन्य, 2014 (2) MPHT 509 = 2013 (1) MPLJ 694 = 2013 (II) MPJR 140.**

CHAPTER IV MUNICIPAL OFFICERS AND SERVANTS	चौथा अध्याय नगरपालिक पदाधिकारी तथा सेवक
The Commissioner	**आयुक्त**
54. Appointment and removal of Commissioner -- (1) The	**54. आयुक्त की नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना** -- (1) निगम के लिए आयुक्त की

1. Subs. by Sec. 7 of C.G. Act No. 18 of 2012 (w.e.f. 9-8-2012), published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 9-8-2012 Pages 425-426(26). Applicable only in Chhattisgarh. Prior to this substitution, Section 53 was as under :-

"53. Minutes Book -- (1) Minutes recording the proceedings at every meeting of the Corporation and of any of its Committees and the names of the members present thereat shall be entered in the Minute Book in Hindi written in devnagari script and confirmed at the same or the next ensuring meeting.

(2) A copy of the minutes of the proceeding of each meeting of the Corporation shall be forwarded to the Government within 15 days of the meeting.

(3) The Minute Books prescribed by this Section shall be open at the Municipal Office at all reasonable times to the inspection of any Councillor without payment and to the inspection of any other person on payment of fees prescribed by byelaws in this behalf.".

Commissioner for the Corporation shall be appointed by the Government for a renewable period not exceeding five years.

(2) He shall be forthwith removed from office if at a meeting of the Corporation not less than three-fourths of the total number of [1][elected councillors] vote in favour of a proposition in this behalf; and he may be removed by the Government at any time if it appears to the Government that he is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of any misconduct or neglect which renders his removal expedient :

Provided that when the Commissioner holds a lien on any post under the Government, he may be recalled at any time by the Government. [2][.....]

55. Power of Commissioner -- The Commissioner shall be the principal executive officer of the Corporation and all other officers and servants of the Corporation except the servants and officers of the Corporation office shall be subordinate to him. He shall have the right to speak at, and otherwise take part in any meeting of the Corporation or any Committee thereof, but shall not be entitled to vote or to move any proposition.

56. Salary of Commissioner -- (1) The Commissioner shall receive such

नियुक्ति ऐसे नवीनीकरण योग्य काल के लिए जो 5 वर्ष से अधिक न हो, शासन द्वारा की जाएगी।

(2) वह अपने पद से तुरन्त हटा दिया जाएगा, यदि इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में निगम के किसी सम्मिलन में [1][निर्वाचित पार्षदों] की कुल संख्या के इतने सदस्यों द्वारा मत दिया जाए, जो तीन-चौथाई से कम न हो, और वह शासन द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा, यदि शासन को यह प्रतीत हो कि वह अपने पद के कर्तव्यों का सम्पादन करने में असमर्थ है या वह किसी ऐसे दुराचरण या प्रमाद का दोषी रहा है, जिससे उसका हटाया जाना उचित ठहरता हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब आयुक्त शासन के अधीन किसी पद का स्वत्वभार रखता हो तो उसे [2][.....] किसी भी समय शासन द्वारा [2][.....] वापस बुलाया जा सकेगा।

55. आयुक्त की शक्ति -- आयुक्त निगम का मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी होगा और निगम कार्यालय के सेवक तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त निगम के समस्त अन्य पदाधिकारी तथा सेवक उसके अधीन होंगे। उसे निगम के या उसकी किसी समिति के सम्मिलन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का स्वत्व प्राप्त होगा, किन्तु वह मत देने का या कोई प्रस्ताव रखने का स्वत्वाधिकारी नहीं होगा।

56. आयुक्त का वेतन -- (1) आयुक्त ऐसा मासिक वेतन तथा ऐसे मासिक भत्ते

1. Substituted by M.P. Act No. 12 of 1995.
2. Omitted by Section 3 (2) of M.P. Act No. 13 of 1961.

monthly salary and such monthly allowances as the Government may, from time to time determine.

(2) [1][Subject to the provisions of sub-section (1), the condition of service] of a person appointed as a Commissioner, who holds a lien on a post under the Government during the tenure of his aforesaid appointment, shall be such as may be laid down by the Government and in any other case they shall be such as may laid down by [2][byelaws] framed by the Corporation.

57. Grant of leave of absence to Commissioner -- (1) The Government may with the previous consent of the Corporation grant leave of absence to the Commissioner.

(2) During any absence on leave of the Commissioner the Government shall appoint a person to act as the Commissioner.

(3) Every person so appointed shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Commissioner by this Act or by any other enactment for the time being in force, and shall be subject to the same liabilities, restrictions and conditions to which the Commissioner is liable and shall receive such monthly salary and allowances, as the Government may determine.

प्राप्त करेगा जिन्हें शासन समय-समय पर निरूपित करे।

(2) आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति के, जो शासन के अधीन किसी पद पर स्वत्वभार रखता हो, अपनी पूर्वोक्त नियुक्ति के कार्यकाल में [1][उप-धारा (1) के आदेशों के पालन के अधीन, सेवा के प्रतिबंध] वही होंगे, जो शासन द्वारा नियत किए जावें, और किसी अन्य दशा में वे ऐसे होंगे जैसे कि निगम द्वारा बनाई गई [2][उपविधियों] द्वारा किए जावें।

57. आयुक्त को अनुपस्थित रहने की अनुमति का प्रदान किया जाना -- (1) शासन निगम की पूर्व स्वीकृति से आयुक्त को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) आयुक्त के अवकाश पर अनुपस्थित होने के समय शासन आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा, आयुक्त को प्रदान की गई शक्तियाँ प्रयोग में लाएगा और उस पर आरोपित कर्तव्यों का सम्पादन करेगा और वह उन्हीं दायित्वों, आयन्त्रणों तथा प्रतिबंधों के पालन के अधीन होगा, जिनके अधीन आयुक्त दायी है और वह ऐसा मासिक वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जैसा कि शासन निरूपित करे।

टिप्पणी

नगर निगम के किसी प्रभारी कमिश्नर द्वारा अनुशासनिक शक्ति प्रयोग में नहीं लाई जा सकती -- कमिश्नर का साधारण प्रभार संभालने वाला सीटी इंजीनियर धारा 58 (1) के अधीन शक्ति को प्रयोग में नहीं ला सकता। **गोविंद कुमार सेन बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (1) एम.पी.एल.जे. 517।**

[3][58. **Appointment and conditions of Service of Corporation Officers and servants** -- (1) Subject to

[3][58. **निगम अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें** -- (1) निगम के अधिकारियों तथा सेवकों के स्थापन (सेट अप),

1. Subs. by Section 3 (2) of M.P. Act No. 13 of 1961.
2. Subs. by M.P. Act, No. 13 of 1961.
3. Subs. by M.P. Act No. 12 of 1995, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 1-5-1995